

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड
सामान्य सेवाएं संगठन
तारापुर

ई -निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना संख्या :बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी(सी)/सीएमटी-182/2025/05 दिनांक : 16/06/2025

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, सा.से.सं, नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेलवे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वयत्त निकायों की अनुमोदित सूची में शामिल एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) एवं अन्य स्थान में समान प्रकार के बृहत कार्यों में अनुभव तथा क्षमता वाले ठेकेदारों से दो भागों (भाग क तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं भाग ख वित्तीय बोली) में ई निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मददर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का नाम	"वर्ष २०२४-२६ हेतु बी.ए.आर.सी. स्टाफ कालोनी तारापुर में अवसीय एवं सर्वजनिक भवन का बाह्य एवं आंतरिक रंग-रोगन कार्य।"
कार्य का स्थल	बी.ए.आर.सी. स्टाफ कॉलोनी, तारापुर
अनुमानित लागत	रु. 4,11,50,000/-
बयाना राशि	रु.8,23,000/-

टिप्पणी :- मूल रूप में बयाना राशि को भाग क तकनीकी बोली खोलने से पहले भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्रिन्सिपल अफेयर्स, तारापुर, बोईसर, महाराष्ट्र के नाम जारी राष्ट्रीय कृत बैंक/अनुसूचित बैंक का अकाउंट पेयिडिमांड ड्राफ्ट / आवधिक जमा रसिद/ बैंकर्स चेक के नाम निविदा के साथ अलग मोहर बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। ईएमडी के बिना प्राप्त निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में, बयाना राशि का कम से कम 50% यारु. 20 लाख जो भी कम हो उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि निविदा भाग 'क' के परिशिष्ट 'क' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है।

निविदा प्रक्रिया शुल्क	रु. 0/-
समाप्ति की अवधि	24 (चौबिस) कैलेंडर माह।
निविदा दस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने के लिए तारीख हेतु अनुरोध (एकसेल/वर्ड फॉर्मेट)	https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर दिनांक: 19/06/2025 (10.00 बजे) से दिनांक: 14/07/2025 (15.00 बजे) तक
बोली-पूर्वस्पष्टीकरण की तारीख	नहीं।
निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख एवं समय	30/06/2025 (10.00 बजे) से 14/07/2025 (15.00 बजे) तक
तकनीकी बोली ऑनलाइन खोलने की अंतिम तारीख एवं समय	15/07/2025 (15.00 बजे) तक

पात्र बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख	बाद में https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर सुचित किया जाएगा।
---	--

सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश

2. निविद दस्तावेज दो भागों में अर्थात् भाग 'क' (तकनीकी/वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी बोली है तथा भाग 'ख' में वित्तीय बोली है। यथा : खंड I - ई - निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II - करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III - ठेके की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV - निविदकों को विशेष अनुदेश, खंड V - तकनीकी निर्देश, खंड VI - टेंडर ड्राइंग की सूची, खंड VII - अनुसूची 'क' - (विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट - 'क' - बोली प्रतिभूति (बैंक गारंटी) परिशिष्ट 'ख' - निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी बॉण्ड का प्रपत्र, परिशिष्ट 'ग' - सुरक्षित (सेक्योर्ड) अग्रिम के लिये दस्तावेज (इंडेंचर), अनुलग्नक 'क' - कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण, अनुलग्नक 'ख' - भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित निर्माता की सूची। भाग 'ख' (कीमत बोली) में अनुसूची 'ख' - प्रमात्राओं की अनुसूची है।

बोलीदाताओं के पास तृतीय श्रेणी का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदा में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीदाताओं को अपने यूजर आईडी / पासवर्ड और कक्षा III डिजिटल के साथ वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के होम पेज में लॉग इन करना आवश्यक है।

संभावित बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे एक्सेल प्रारूप मूल्य बोली डाउनलोड करें और एक्सेल दस्तावेज भरें और उसका नाम बदले बिना उसे अपलोड करें। कृपया निविदा जमा करने के लिए सहायता नियमावली देखें / एनआईटी के अनुसार हेल्प से संपर्क करें।

उल्लिखित कार्यों के लिए निविदा चित्र (धारा VI) का एक सेट केवल प्रभारी अभियंता, संपदा अनुरक्षण कक्ष, भापअ केंद्र, स्टाफ कालोनी, तारापुर, डाक TAPP, बोईसर, तालुका और जिला - पालघर, पिन नं० 401504, के कार्यालय में निविदा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। निविदा और बोलीदाताओं के जमा होने के अंतिम दिन से पहले तक काम करने के लिए यदि आवश्यक हो तो चित्र का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं और वही वेब साइट पर उपलब्ध नहीं होगा।

संभावित बोली लगाने वाले या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी फोटो पहचान लानी होगी; बीएआरसी परिसर में प्रवेश के लिए पैन कार्ड, जो एक प्रतिबंधित स्थान है। एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए बोली लगाने वाले को फोन या ईमेल पर पूर्व सूचना लेनी होगी।

उपरोक्त सभी दस्तावेज सफल बोली लगाने वाले को पुरस्कार देने के बाद समझौते का हिस्सा बनेंगे।

पात्रता मानदंड :

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:
- (क) ठेकेदारों के समुचित वर्ग में पंजियन यदि कोई हो।
 - (ख) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी अनुसूचित बैंक से कम से कम **₹.1,64,60,000/-** (अनुमानित लागत के 40% के मूल्य का) के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
 - (ग) दिनांक **31 मार्च 2024** को समाप्त पिछले 3 वित्तीय वर्ष में दौरान निर्माण कार्य पर औसत वार्षिक कारोबार **₹.2,05,75,000/-** (अनुमानित लागत के 50%) होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड

एकाउन्टेन्टद्वारा विधिवेता लेखा परीक्षित होना चाहिए।

(घ) 31मार्च 2024 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा नहीं होना चाहिए।

(च) पिछले 7 वर्षों में किए गए समान कार्यों की सूची।

(छ) कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक सूची के अनुसार बोलीदाता के पास निर्माण उपकरण होना चाहिए। अन्यथा, उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह किराए पर लेने अदि द्वारा उपकरण का प्रबंधन करने में सक्षम होगा और उन फ़र्मों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनसे बस किराए पर लेने का प्रस्ताव करता है।

(ज) बोलीदाता के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए: अनुबंध का उचित निष्पादन।

(झ) वस्तु एवं सेवा कर (GST) का मानी प्रमाणपत्र।

(ट) स्थायी खाता सं. (PAN No)।

(ठ) भविष्य निधि(PF) पंजीकरण सर्टीफ़िकेट।

(ड) विभिन्न क्लॉअंट के साथ कीए गए कामों के सबूत में TDS प्रमाणपत्र।

(ढ) बोलीदाता एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सरकार द्वारा निविदा से वंचित नहीं किया गया है। पिछले 7वर्षों में विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र का उधम। यदि बोलीदाता को विवर्जित किया जाता है, तो उन्हें डिबार्मेंट का विवरण घोषित करना चाहिए और डिबार्मेंट के आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी मामले की योग्यता के आधार पर बोलीदाता की योग्यता पर निर्णय करेगा।

(त) पिछले सात (07) वर्षों के दौरान इसी तरह के कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव उस महीने के आखिरी दिन से पहले होता है जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के अंतिम दिन तक पूर्ण किए गए कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। संयुक्त उद्यम स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

(थ) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई- II संशोधन, दिनांक 16/09/2020 और समय-समय पर संशोधित के रूप में बोलीदाता "क्लास-I लोकल सप्लायर"होना चाहिए।

4. बोलीकर्ता को संतोषजनक रूप से पूरा होना चाहिए (कार्यों के ग्राहक द्वारा प्रदर्शन के प्रमाणन के आधार पर)

i) 3 (तीन) समान मूल्य का प्रत्येक कार्य अनुमानित लागत का 40% (रु.1,64,60,000/-) से कम नहीं है या

ii) 2 (दो) समान मूल्य का प्रत्येक कार्य अनुमानित लागत का 60% (रु.2,46,90,000/-) से कम या नहीं है

iii) 1 (एक) अनुमानित लागत का कम से कम 80% (रु.3,29,20,000/-) मूल्य का समान कार्य

iv) यदि अनुमानित लागत 20 करोड़ से अधिक है, तो उपरोक्त के अलावा, किसी भी प्रकृति का पूरा काम

(या तो उपरोक्त कार्यों का हिस्सा या एक अलग) अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है। कुछ केंद्र सरकार के विभाग / राज्य सरकार के विभाग / केंद्रीय स्वायत्त निकाय / राज्य के स्वायत्त निकाय / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / नगर विकास प्राधिकरण / नगर निगम के किसी भी अधिनियम के तहत केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा गठित और केंद्रीय में प्रकाशित / राज्य राजपत्र।

पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान महीने के आखिरी दिन समाप्त होता है, जिसमें निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और यदि केंद्र सरकार के विभाग / राज्य सरकार के विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समान कार्य नहीं किए जाते हैं, या राज्य सरकारों / केंद्रीय स्वायत्त निकायों, के लिए बोली लगाने वाले द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र का उत्पादन किया जाना चाहिए।

5. इसप्रयोजनहेतु"कार्यकीलागत" कातात्पर्यहैपूरेहुएकार्यकीसफललागतजिसमेंसरकार/ क्लॉअंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों के लागत शामिल है, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार के कार्य का तात्पर्य"इमारतों का सिविल निर्माण या इमारतों की संरचना/सिविल रखरखाव या

संरचना/दोनों का संयोजन। समान कार्य ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे भारत में सम्पादित किया जाता है। संयुक्त रूप से किए गये कार्य की कीमत स्वीकार्य नहीं है।

6. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर परा कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमानलागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओंके लिएआवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।
7. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता का परिकलननिम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाएगा।

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां

A =पिछले5 वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित निर्माण कार्यों का मूल्य जिसमें संपन्न किया गया कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। पुरे किए गए कार्यों के मुल्य को 7% की वार्षिक सामान्य दर पर बढ़ाते हुए वर्तमान लागत पर लाना होगा।

N =जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्या।

B =विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य।

8. यहां तक कि किसी भी बोलीदाता के माध्यम से उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, यदि वह है तो वह अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा:
 - (i)बोलीदाता ने भ्रामक या गलत अभ्यावेदन किया है या पात्रता मानदंड दस्तावेज में अपेक्षित प्रपत्रों, कथनों और संलग्नकों में जानबूझकर जानकारी को दबाया है,
 - (ii)बोलीदाता के पास खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड है जैसे काम छोड़ना, अनुबंध को ठीक से पूरा नहीं करना या वित्तीय विफलताओं / कमजोरियों आदि।
 - (iii)बोलीदाता किसी भी कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल है अनुचित लाभ मिल रहा है।
 - (iv) यदि डीईई सुरक्षा से बोलीदाता के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है।

9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए। संयुक्तउद्यम तथा/ अथवा कंसोर्टियमस्वी कार्य नहीं है।

शर्तें :

10. निविदा के क भाग के खुलने के पश्चात मुख्या अभियंता द्वारा एक निरिक्षण दल गठित किया जाएगा जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

क) वित्तीय क्षमता एवं पिछले पास वर्षों के दौरान उनका टर्नओव्हर।

ख) संबंधित कार्यके संदर्भों मेंकंपनीकी तकनीकी क्षमताएं।

ग) पिछले सात वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।

घ) कंपनी की संघटनात्मक संरचना

च) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन

छ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता

ज) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति

झ) क्षेत्र नियोजन क्षमता

ट) कम्पनी की कार्य को बेक टू बेक / उप कीराईदारी पर सौपने की प्रवृत्ति

ठ) किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बोली लगाने वाले (यदि कोई हो) के डिबारमें की प्रकृति

उद्यम ।

पात्रता सम्बन्धित दस्तावेजों का मूल्यांकन एनआईटी में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर वित्तीय बोली खोलने से पहले यह सीपीडीआईएमयू के परिशिष्ट -20 के अनुलग्नक 1 के अनुसार किया जाएगा ।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन: वित्तीय बोली खोलने की तारीख बोलीदाताओं को दी जाएगी जिनके भाग I (पात्रता मानदंड (अंश- I) से संबंधित दस्तावेज विभाग को संतुष्ट करते हैं और केवल ऐसे बोली लगाने वाले को भाग -II (खोलने में अनुमति दी जाएगी) वित्तीय बोली)

संकेतित कार्य की अनुमानित लागत केवल अनुमानित है और ठेकेदार दरों को विस्तार से निर्धारित करेगा ।

11. निविदा के भाग-ए, मूल्यांकन के समय निविदाकर्ता के क्षमता अनुसार, के खुलने के पश्चात 'क' निविदाकर्ता को निम्नानुसार पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित रु:100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा .

"मैं / हम कार्य करते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान काम (ओं) को किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से वापस आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, अगर ऐसा उल्लंघन विभाग के नोटिस पर आता है, तो मुझे भविष्य में हमेशा के लिए एनआरबी, बीएआरसी अनुबंधों में निविदा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।"

इसके अलावा

"मैंने भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर देने के संबंध में अनुबंध-1 में खंड पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से, सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के ठेकेदार को किसी भी काम का उप-अनुबंध नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो । मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है । (जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा ।)"

12. निविदा के भाग 'क' के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी ।
13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत किया जाएगा । फिर भी बिना कोई शर्त की छूट वाली निविदाएं स्वीकृत की जाएंगी ।
14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी उल्लंघन / विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमड , की सूचना निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त / करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।
15. कार्य को पूरा करने के अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए या लिखित आदेश मिलाने के 15वें दिन से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित यदि कोई हो , चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी ।
16. निविदा को निविदा के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से **180 (एक सौ अस्सी)** दिनों तक वैध रखा जाएगा । यदि कोई बोलीदाता अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले, जो भी पसले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो सरकार बिना किसी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, बयाना राशि का 50%(पचास प्रतिशत) पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहे । इसके अलावा, बोलीदाता को कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

17. यदि निविदा प्रक्रिया शुल्क, ईएमडी के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित के जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।
18. संभावित बोलीदाताको 1(iv) में वर्णित ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफ़डीआर/डीडी/बीसी/बीजीकी स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए और मूलकाँपी प्रभारी अभियंता, संपदा अनुरक्षण कक्ष, भापअ केंद्र, स्टाफ़ कालोनी, तारापुर, डाक TAPP, बोईसर, तालुका और जिला - पालघर, पिन नं 401504 के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। भाग-ए के अनुसार 1-(xi)खुलने से पहले निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
19. सिक्योरिटी डिपॉजिट @ बिल की सकल राशि का 2.5% प्रत्येक चल रहे बिल के साथ-साथ ठेकेदार के अंतिम बिल में से काट लिया जाएगा, जब तक कि कटौती की गई राशि कार्य के टेंडर किए गए मूल्य के 2.5% के सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा हो जाएगी।

सिक्योरिटी डिपॉजिट को डिमांड ड्राफ्ट / बैंक के अनुसूचित बैंक से चेक के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। अनुसूचित बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद भी स्वीकार की जाएगी।
20. इसके अलावा, अनुबंधकर्ता को अनुबंध की निविदा मूल्य के 5% के बराबर राशि जमा करने की आवश्यकता होगी, जो डिमांड ड्राफ्ट / फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद / बैंक गारंटी / बैंक के चेक के रूप में प्रदर्शन गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। वर्क ऑर्डर जारी करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर या जो भी पहले हो, काम शुरू करने से पहले।
21. यदि सफल बोलीदाता, कार्यआदेश जारी होने की तिथि से या कार्य शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, 15 दिनों के भीतर (और अनुसूची एफ़ में उल्लिखित अनुग्रह अवधि के अधीन) प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापाअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदारसिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
25. i) कोटेड दरें जीएसटी में सम्मिलित होंगी और ठेकेदार और एनआरबी द्वारा देय होंगी, BARC इस संबंध में किसी भी दावे का मनोरंजन नहीं करेगी। ठेकेदार को माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होना चाहिए और जीएसटी के अनुसार कार्य पर मौजूदा आदेश के अनुसार ठेकेदार द्वारा संबंधित कर अधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।
ii) लागू श्रम कल्याण उपकर, ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से वसूल किया जाएगा।
iii) जीएसटी पर आयकर / टीडीएस और लागू होने वाले किसी अन्य कर को ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल से काट लिया जाएगा।
iv) सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है।

- v) बोलीदाता को ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत पंजीकृत होना चाहिए। ठेकेदारसंबंधित एजेंसियों को संविदा कर्मियों के ईपीएफ और ईएसआईसी (दोनों में नियोक्ता का योगदान) की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा संतुष्ट होने के बाद की जाएगी कि यह वास्तव में और वास्तव में ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया है। बोलीदाता को अपनी दरों में ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करना चाहिए।

26. जिन सफल निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए। पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।

यदि सुरक्षा जांच के परिणाम स्वरूप ठेकेदार/कंपनी /फार्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर पूर्ववर्ती अभ्युक्तियां/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कार्य बताए बिना / कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्यवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुकसान /दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा। समय-समय पर पड़वि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन / अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होनेवाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्य निष्पादन सुरक्षा और / अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग / पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेश :

27. बोलीदाता <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
28. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समय और तिथि तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पार्ट ए को ऊपर बताए गए समय और तारीख पर खोला जाएगा। मूल्यांकन के लिए, पार्ट ए खोलने के बाद, ठेकेदार के चल रहे / पूर्ण कार्य स्थलों और कार्यालयों का दौरा किया जा सकता है। पात्रता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार निविदाकर्ता योग्य होंगे। अनुलग्नक-बी के अनुसार मूल रूप से बोली सुरक्षा घोषणा भाग 'बी' (वित्तीय बोली) खोलने से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। योग्य बोलियां तब अधिसूचित तिथि और समय पर खोली जाएंगी। भाग 'बी' (वित्तीय बोली) के उद्घाटन की तिथि ईमेल द्वारा सभी बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
29. निविदा खुलने की तारीख के दिन, बोलीदाता लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
30. बोलीदाता को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। निविदा दस्तावेज के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर वित्तीय बोली BoQ XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराई गई है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BoQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपनी दरों को अनुमत (असुरक्षित) सेल में उद्धृत करें जो अलग-अलग रंगों और अन्य विवरणों (जैसे बोली लगाने वाले का नाम) में दिखाई देता है। कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल नाम बदले बिना इसे सहेजना चाहिए और इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। बोलीदाता किसी भी तरीके से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि कोई सेल खाली छोड़ दिया जाता है और बोलीदाता द्वारा कोई दर उद्धृत नहीं की जाती है, तो ऐसी वस्तु की दर "0" (शून्य) समझी जाएगी।

31. बोली से जमा करने की अवधि के भीतर मूल और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

i) सीए द्वारा प्रमाणित वित्तीय मोड(यू.डी.आई.एन के साथ जमा करे)।

- ii) मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण – सी.ए. द्वारा प्रमाणित (यू.डी.आई.एन के साथ जमा करे)।
- iii) नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट।
- iv) निर्माण संयंत्रों और मशीनरी की सूची/उपकरणों की सूची।
- v) तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
- vi) पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीकरण।
- vii) ईएमडी दस्तावेजों की प्रति जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी
- viii) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र। हाथ में काम की सूची इंगित करती है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
- ix) प्रमाण पत्र:
 - क) पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि कोई हो
 - ख) कार्य अनुभव / प्रदर्शन प्रमाण पत्र का प्रमाणपत्र
 - ग) जीएसटी के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र
 - घ) पीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- x) यह रेखांकित करना कि पात्र समान कार्य (ओं) को बैंक-टू-बैंक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं किया गया है।
- xi) भाग A: खंड III और अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 11 के अनुसार घोषणा।
- xii) वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो
- xiii) घोषणा कि बोली लगाने वाले को 3(I) में वर्णित के अनुसार विवर्जित नहीं किया गया है।
- xiv) कंपनी के लेटर हेड में संलग्नक-II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अनुसार वचनबद्धता।
- xv) अनुबंध-III के अनुसार सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) में परिभाषित “क्लास-I लोकल सप्लायर” होने के संबंध में आधिकारिक लेटर हेड में अंडरटेकिंग।

बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी(सी)/सीएमटी-182/2025/05 दिनांक : 16/06/2025

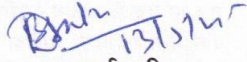
नोट: तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रासंगिक दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए निरीक्षण समिति द्वारा पृष्ठा जा सकता है।

1. पंजीकृत ठेकेदार ही आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद निविदा खरीद / डाउनलोड एवं प्रस्तुत / अपलोड कर सकता है।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> वेबसाइट देख सकती हैं।
3. किसी प्रकार की सहायता / स्पष्टीकरण के लिए प्रभारी, अभियंता संपदा अनुरक्षण कक्ष (दूरभाष नं. (02525)268067, (02525)268081, (02525)268063, (02525)268018 के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
4. **ई निविदाकरण** पंजीकरण एवं सहभागिता हेतु निम्न व्यक्तियों से संपर्क करें :
क) श्री। भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं. 022-25487480
ख) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें
1. 0120-4001 002
2. 0120-4001 005
3. 0120-6277 787

5. बोली पूर्व स्पष्टीकरणों को भेजने के लिए ई मेल आईडी

To: dkbharadwaj@barc.gov.in, shivams@barc.gov.in
phembram@barc.gov.in

टिप्पणी : यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ में कोई अंतर होता है तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।


उप मुख्य कार्यकारी,
एनआरबी, तारापूर
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से)
डी. बी. साठे / D. B. Sathe
निदेशक, सा. से. सं. (ख) / Director, GSO (T)
ना.पु.बो (ता) / NRB(T)
भा.प.अ.कें तारापूर / BARC, Tarapur
पो-घिवली, ता. एवं जि. पालघर 401502
PO-Ghivali, Tal. & Dist. Palghar 401502

अनुलग्नक-1 से एनआईटी नं.: बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी(सी)/सीएमटी-182/2025/05

दिनांक : 16/06/2025

- I. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।
- II. "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'सलाहकार, या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य शामिल है (जो कई व्यक्तियों का संघ है, या फर्म या कंपनियां), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो यहां पहले बताए गए बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय शामिल है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग ले रहा है।
- III. इस आदेश के प्रयोजन के लिए "एक देश से बोली लगाने वाला जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है" का अर्थ है:-
 - क) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत इकाई; या
 - ख) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत किसी इकाई की सहायक कंपनी; या
 - ग) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
 - घ) एक इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या
 - ङ) ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - च) एक प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
 - छ) एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।
- IV. उपरोक्त (iii) के प्रयोजन के लिए लाभार्थी स्वामी निम्नानुसार होगा:
 1. किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तियों) है, जो अकेले या एक साथ, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य के माध्यम से नियंत्रण रखता है साधन।
व्याख्या:
 - क) "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार है। कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे का।
 - ख) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं।
 2. एक साझेदारी फर्म के मामले में, लाभार्थी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पूंजी या मुनाफे के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी का स्वामित्व रखता है। साझेदारी
 3. एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभार्थी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदार है ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का
 4. जहां ऊपर (1) या (2) या (3) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभार्थी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है
 5. ट्रस्ट के मामले में, लाभार्थी स्वामी (ओं) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी, जो इस पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का प्रयोग कर रहा हो। नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्वास।
- V. एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है।
- VI. सफल बोलीदाता को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी ठेकेदार को उप-ठेके पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो।

अनुलग्नक-2 से एनआईटी नं. : बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी(सी)/सीएमटी-182/2025/05

दिनांक : 16/06/2025

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचनबद्धता
तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न भरने की पुष्टि की घोषणा।

- I. मैं, _____ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/ _____ के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
[संस्था का नाम] के रूप में पैन _____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान के तहत आवश्यक
के रूप में निम्नलिखित घोषणा करता हूं (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)
1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूं/हैं।
 2. मैं/हम एतद्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति'
की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष ----- और वित्तीय
वर्ष ----- के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)।
 4. यदि रिटर्न दाखिल किया गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:
- मैं/हम, _____ के पास PAN _____ है, एतद्वारा पुष्टि करता हूं कि धारा 206 एबी का
प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय
वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष (आकलन वर्ष) /	आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि	आईटीआर पावती संख्या
1			
2			

5. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी
हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए
सहमत हैं।

की ओर से

<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>

<< पद >>

संस्था का नाम:

सील:

तारीख :

अनुलग्नक-3

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) के प्रावधानों के लिए उपक्रम। आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/2/2017-बी.ई., संशोधन, दिनांक 16/09/2020 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

एनआईटी संख्या:बीएआरसी(टी)/एनआरबी/जीएसओ/ईएमसी(सी)/सीएमटी-182/2025/05 दिनांक:16/06/2025

कार्य का नाम: "वर्ष २०२४-२६ हेतु बी.ए.आर.सी. स्टाफ कालोनी तारापुर में अवसीय एवं सर्वजनिक भवन का बाह्य एवं आंतरिक रंग-रोगन कार्य।"

उपर्युक्त निविदा संदर्भ के संदर्भ में, मैं/हम मेसर्स.....

(आपूर्तिकर्ता का नाम) एतद्वारा प्रमाणित करता है कि उत्पादों/सेवाओं की पेशकश.....

(कार्य का नाम) सार्वजनिक खरीद(मेक इन इंडिया को वरीयता) के डीपीआईआईटी में उल्लिखित "कक्षा -1 स्थानीय आपूर्तिकर्ता" के लिए निर्धारित न्यूनतम सामग्री की आवश्यकता को पूरा करता है। आदेश-2017, आदेश संख्या "पी-45021/ 2/2017-बी.ई. -11, संशोधन, दिनांक 16/09/2020 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त कार्य के लिए स्थानीय सामग्री कार्य आदेश के कुल मूल्य का% है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर और हस्ताक्षर

नोट: यदि खरीद लागत रुपये से अधिक है। 10 करोड़, स्थानीय सामग्री का यह प्रतिशत प्रमाणित वैधानिक लेखा परीक्षक / कंपनी के लागत लेखा परीक्षक / अभ्यास लागत लेखाकार / चार्टर्ड एकाउंटेंट का अभ्यास करने वाला उपरोक्त आदेश में परिभाषित किया जाएगा।